पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् विड्रो फरमाने अपील पेश कर कथन किया कि पक्षकारान के मध्य गॉव के मौजीज व्यक्तियों की समझाईस करने पर आपस में राजीनामा हो चुका है इस कारण प्रार्थी/अपीलांट प्रस्तुत अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं और अपील विड्रो करवाना चाहतें हैं। अपीलांट स्वंय उपस्थित होकर कथन किया कि अपील विड्रो मे खारिज फरमायी जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के वाद संख्या 109/2014 बउनवानी लाला बनाम रामप्रसाद में सलंग्न मूल रजिस्ट्री प्रार्थी/अपीलांट को लौटाई जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट ने भी कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट को मूल रजिस्ट्री की आवश्यकता होने के कारण मूल रजिस्ट्री दी जावें उसके स्थान पर प्रमाणित प्रति सलंग्न कर दी जावें।

अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट के कथनानुसार अधीनस्थ न्यायालय के मिसल में सलंग्न मूल रजिस्ट्री (पेज 63–64 पर सलंग्न) हैं प्रार्थी/अपीलांट को लौटाई जावें एवं उसके स्थान पर प्रमाणित प्रति सलंग्न की जावें। प्रमाणित प्रति पर प्रार्थी/अपीलांट के प्राप्ति के हस्ताक्षर करवायें जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापिस भिजवाते समय उक्त मूल रजिस्ट्री दिये जाने का अंकन किया जावें।

अतः अपील विड्रो किये जाने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।